भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2817
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आजीविका मिशन की समीक्षा

2817. श्री जिया उर रहमान:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आजीविका मिशनों, स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों की हाल ही में कोई समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) ग्रामीण अवसंरचना में पारदर्शिता, समय पर भुगतान और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त उपाय करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) जी, हाँ। ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रा.वि. मंत्रालय) ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के समग्र प्रभाव को समझने के लिए विभिन्न प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित किए हैं। डीएवाई-एनआरएलएम वर्ष 2011 से मिशन मोड में लागू है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना तथा उन्हें आर्थिक गतिविधियों के लिए निरंतर प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करना है, ताकि वे समयांतराल में अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकें, अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकें और अत्यंत गरीबी से बाहर निकल सकें। विभिन्न अध्ययन जो कराए गए उनका का विवरण निम्नानुसार है:

1. एनआरएलएम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2024 में एक मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया गया, जिसमें 9 राज्यों नामतः बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा,

झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग 23,000 उत्तरदाताओं और 5,000 एसएचजी को शामिल किया गया। यह ग्रा.वि. मंत्रालय द्वारा प्रायोजित पहला बड़े पैमाने का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन था। प्रभाव मूल्यांकन (2024) के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

i. एसएचजी-ग्राम संगठन (वीओ)-क्लस्टर स्तरीय महासंघ (सीएलएफ) के विस्तार से घरेलू व्यय में 10.5% की वृद्धि हुई।
ii. कार्यक्रम कार्यकलापों ने घरेलू आय में 27% की वृद्धि की, साथ ही खाद्येतर व्यय, संपत्ति स्वामित्व और उद्यम निवेश में भी वृद्धि हुई।
iii. मॉडल सीएलएफ क्लस्टरों में अधिक सकारात्मक परिणाम सामने आए, जिनमें 12-32% आय वृद्धि और 10-17% उपभोग वृद्धि शामिल है।
iv. बेहतर जेंडर मानदंडों, व्यापक सामाजिक नेटवर्क और निर्णय लेने में अधिक भागीदारी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में सुधार हुआ।
v. एकीकृत कृषि क्लस्टर (आईएफसी) दृष्टिकोण ने आय लाभ को बढ़ाया और बाजार संपर्कों को सुदृढ़ किया।

2. सरकार ने वर्ष 2024 में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की उप-योजनाओं–महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) तथा स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी)–के प्रभाव का आकलन करने के लिए विषयगत मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित किए। इन अध्ययनों का उद्देश्य आजीविका में सुधार तथा ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने में इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना था। मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

i. स्थाई कृषि पर एमकेएसपी का प्रभाव: दर्शाता है कि अधिकांश महिला किसानों (79%) ने जलवायु-अनुकूल पद्धतियों को अपनाना जारी रखा, जिसमें सामूहिकीकरण एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में उभरा (64% उत्पादक सामूहिकों से जुड़े)। इस कार्यक्रम ने आत्मविश्वास (48%), कृषि ज्ञान (40%) और फसल उत्पादकता (52%) में वृद्धि की। किचन गार्डन (63% अपनाने की दर) सबसे पसंदीदा पद्धति के रूप में उभरी।
ii. ग्रामीण उद्यमिता पर एसवीईपी का प्रभाव: इस मूल्यांकन में 17 राज्यों में 1,159 उद्यमों को शामिल किया गया, जिसमें विकेंद्रीकृत उद्यमिता को बढ़ावा देने, सीआरपी-ईपी के माध्यम से उद्यम सहायता को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण परिवारों,

विशेष रूप से महिलाओं और एसएचजी सदस्यों के बीच आय विविधीकरण और स्वरोजगार को सक्षम बनाने में एसवीईपी की भूमिका को रेखांकित किया गया।

(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लाभार्थियों को कार्य पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जो मस्टर रोल अपलोड करने से लेकर एफटीओ अनुमोदन तक मजदूरी भुगतान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए निश्चित समय-सीमाएं निर्धारित करती है। मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर, मजदूरी के समय पर भुगतान में सुधार के लिए ठोस प्रयास करता रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर भुगतान आदेश जारी करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:

i. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) में सुधार।
ii. समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने, लंबित और विलंब मुआवजा दावों के सत्यापन आदि के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श।
iii. समय पर भुगतान की निगरानी और विलंब मुआवजे के भुगतान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्माण।
iv. आवधिक बैठकों, प्रदर्शन समीक्षा समिति की बैठकों, मध्यावधि समीक्षाओं आदि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय पर भुगतान और विलंब मुआवजे की स्थिति की समीक्षा।

इसके अतिरिक्त, ग्रा.वि. मंत्रालय द्वारा समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तकनीकी कार्यकलापों के माध्यम से निरंतर प्रयास किए गए हैं। प्रमुख कार्यकलापों में शामिल हैं:

i. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** मजदूरी केंद्रीय खाते से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका न्यूनतम होती है और निधि का दुरुपयोग कम होता है। यह पारदर्शिता बढ़ाने और लीकेज रोकने में प्रभावी सिद्ध हुआ है। लगभग 100% धनराशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रबंधित की जाती है और

मजदूरी भुगतान पूरी तरह से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है।

ii. **आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस):** एपीबीएस रूपांतरण एक प्रमुख सुधार प्रक्रिया है, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना के श्रमिकों के आधार के आधार पर लाभ सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाता है, अधिमानतः आधार आधारित भुगतान के रूप में, जिससे वितरण प्रक्रिया में कई स्तर कम हो जाते हैं। एपीबीएस बेहतर लक्ष्यीकरण में सहायता करता है, प्रणाली की दक्षता बढ़ाता है, भुगतान में देरी कम करता है, लीकेज रोककर समावेशन सुनिश्चित करता है तथा जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

iii. **राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस):** कार्यस्थल पर जियो-टैग की गई तस्वीरों के माध्यम से वास्तविक समय में उपस्थिति की रिकॉर्डिंग से उपस्थिति का सटीक और समय पर लेखांकन सुनिश्चित होता है, जिससे मजदूरी का समय पर भुगतान होता है।

ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) भारत सरकार का एक विशेष एकबारगी कार्यकलाप है, जिसका उद्देश्य मुख्य नेटवर्क में पात्र असंबद्ध बस्तियों को एक एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्क प्रदान करना है। इसे वर्ष 2000 में ग्रामीण जनता को बुनियादी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने हेतु अच्छी गुणवत्ता की सड़कें उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के उपाय के रूप में प्रारंभ किया गया था। पीएमजीएसवाई निम्नलिखित स्थापित निगरानी और गुणवत्ता प्रोटोकॉल का पालन करती है:

i. **डिजिटल निगरानी:** कार्यान्वयन की ट्रैकिंग ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) के माध्यम से रियल-टाइम डेटा सिंक के लिए की जाती है, जिसे पीएमजीएसवाई-III के लिए परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) द्वारा पूरक किया जाता है।

ii. **परिचालन पारदर्शिता:** निर्माण के दौरान तैनाती की निगरानी के लिए मशीनरी पर अनिवार्य जीपीएस-सक्षम वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) अनिवार्य है।

iii. **रखरखाव:** दोष दायित्व अवधि के दौरान नियमित रखरखाव ईमार्ग के माध्यम से संसाधित किया जाता है। भुगतान प्रदर्शन-आधारित रखरखाव अनुबंधों (पीबीएमसी) द्वारा विनियमित होते हैं, जिसमें संवितरण सड़क के निर्धारित सेवा स्तरों को पूरा करने पर निर्भर होता है।

iv. **गुणवत्ता नियंत्रण:** गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक त्रि-स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन तंत्र स्थापित है, जिसमें प्रथम स्तर पर पीआईयू-स्तरीय इन-हाउस गुणवत्ता नियंत्रण, द्वितीय स्तर पर स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता मॉनीटर (एसक्यूएम) और तृतीय स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा अधिसूचित स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) शामिल हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत मकानों का समय पर निर्माण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहलें भी कर रहा है:

i. मंत्रालय स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा।
ii. योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई-जी डैशबोर्ड का शुभारंभ।
iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर लक्ष्यों का आवंटन और पर्याप्त निधि जारी करना।
iv. केंद्रीय और राज्य अंश की निधि जारी करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।
v. प्रदर्शन सूचकांक डैशबोर्ड के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों को पुरस्कार देकर उनके मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरणा उत्पन्न करना। पीएमएवाई-जी दिशा-निर्देश यह प्रावधान करते हैं कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चयनित लाभार्थियों को, अधिमानतः ब्लॉक स्तर पर, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शीघ्रतम संभव तिथि पर, आवास के विभिन्न पहलुओं पर जागरूक करें। इसमें सहायता की राशि, चरण-वार किस्तें, उनके क्षेत्र के अनुकूल उपलब्ध मकान प्रकार डिजाइनों के विभिन्न विकल्प, आपदा-अनुकूल विशेषताएं, हरित आवास डिजाइन, सामग्री, प्रौद्योगिकियां और तत्व (जैसे वर्षा जल संचयन), खाना पकाने का क्षेत्र, स्वच्छता, जल भंडारण आदि शामिल हैं। लाभार्थियों को पहले मूल मकान का निर्माण करने, प्रत्येक चरण के निर्माण के लिए सामग्री की अनुमानित आवश्यकता, कुशल राजमिस्त्री/प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्री की उपलब्धता और उनका संपर्क विवरण, उचित दरों पर सामग्री की खरीद के स्रोत, आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता आदि के बारे में भी जागरूक किया जाता है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए, "उन्नति" परियोजना का उद्देश्य महात्मा गांधी नरेगा योजना श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करना और उनकी आजीविका में सुधार करना है, ताकि वे आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ सकें। यह परियोजना

दिसंबर 2019 में लॉच की गई और अप्रैल 2020 में शुरू की गई, किंतु कोविड-19 के कारण इसकी प्रगति प्रभावित हुई। 31 मार्च 2025 तक कुल 90,894 उम्मीदवारों की उपलब्धि रही है। परियोजना को दिशा-निर्देश ढांचे में बदलावों के साथ 31 मार्च 2026 तक और विस्तारित किया गया है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करना और टिकाऊ आजीविका को सहायता देना है। इस कार्यक्रम का फोकस कुशल और प्रमाणित राजमिस्त्रियों की एक टीम तैयार करना है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए आपदा-अनुकूल, टिकाऊ और किफायती पक्के मकानों का निर्माण करने में सक्षम हों। ये प्रशिक्षित राजमिस्त्री निर्माण गुणवत्ता में सुधार, त्वरित पूर्णता और डिजाइन एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 3.81 लाख उम्मीदवार नामांकित किए गए हैं, 3.48 लाख का मूल्यांकन किया जा चुका है और 3.08 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्री के रूप में प्रमाणित किया गया है। इन प्रशिक्षुओं ने संरचित ऑन-साइट प्रशिक्षण मॉड्यूल पूरे किए हैं, और प्रमाणन भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद (सीएसडीसीआई) द्वारा आयोजित किया गया है। यह व्यवस्थित और व्यावहारिक प्रशिक्षण दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि राजमिस्त्री ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और टिकाऊ आवास निर्माण के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल विकसित करें।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. **डिजीलॉकर:** डिजीलॉकर ने आम नागरिकों को मूल जारीकर्ता से प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक हर समय पहुंच प्रदान की है। 67.17 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता डिजीलॉकर की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत हैं, और प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनबोर्ड 2,456 जारीकर्ताओं द्वारा 967.01 करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए गए हैं।
ii. **नई पीढ़ी के सुशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन (उमंग):** सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन, जो चालू है और व्यक्तियों के लिए 2,446 से अधिक सेवाएं प्रदान करती है।

iii. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी):** यह प्लेटफॉर्म योजना-स्वामित्व मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवेदनों को संसाधित करने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे छात्रवृत्ति/निधि वितरित करने में सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) 7.47 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की सेवा करता है, जिसमें कुल वितरण 44,181 करोड़ रुपये से अधिक है। अब तक 13 मंत्रालयों/विभागों और 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 153 योजनाएं एनएसपी पर ऑनबोर्ड की गई हैं।

iv. **माईगव:** माईगव भारत सरकार का नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म है, जो नीति निर्माण में लोगों को शामिल करने के लिए एकाधिक सरकारी निकायों/मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है और सार्वजनिक हित एवं कल्याण के मुद्दों/विषयों पर लोगों की राय लेता है। वर्तमान में 6.11 करोड़ से अधिक नागरिक माईगव के साथ पंजीकृत हैं और माईगव प्लेटफॉर्म पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं।

v. **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी):** सीएससी ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक संपर्क बढ़ाते हुए डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जनवरी 2026 तक, देश भर में (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) 5.54 लाख सीएससी कार्यात्मक हैं, जिनमें से 4.32 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर (ग्रामीण) पर कार्यात्मक हैं।

vi. **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा):** पीएमजीदिशा को देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) तक डिजिटल साक्षरता पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। 6 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष, देश भर में 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। इस योजना को देश भर के 2.52 लाख ग्राम पंचायतों में फैले 4.39 लाख सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा लागू किया गया।

*****